

#### வயாரா

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938

No. 2654]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2016

का.आ. 3409 (अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की सिफारिशों पर, दो हजार रुपए मूल्य के अंकित मूल्य के बैंक नोटों को विनिर्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई.I] डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2016

**S.O. 3409(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and on the recommendations of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, the Central Government hereby specifies the denomination of bank notes of the value of two thousand rupees.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

5201 GI/2016